न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

405
01/7/2021

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 18/ 2021   दायर तारीख : 23-06-2021

O.K.
1/7/21

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर — **प्रार्थी**

बनाम

1. पूरण पुत्र लादू वगैरह जाति कीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल वगैरह जाति ब्राहम्ण निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. कैलाशकंवर पत्नि गोविन्द सिंह वगैरह जाति राजपूत निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
4. नारायण पुत्र नाथू वगैरह जाति गुर्जर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
5. मूर्ति मंदिर श्री सियावरजी विराजमान ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. आंची पुत्री भगवान सहाय वगैरह जाति कीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
7. बोदूराम पुत्र पाला जाति जाट निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
8. रिछपाल पुत्र गंगल्या जाति कीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— **अप्रार्थीगण**

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपस्थित : – पैराकार सरकार, प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– **29-06-2021**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम मैड पटवार मण्डल मैड में स्थित खसरा नंबर 2150/0.32, 2131/0.25, 2126/0.50, 2129/0.34, 2125/1.01, 2125/5729/0.10, 2125/5728/0.16, 2241/5730/0.12, 2141/0.11, 2244/1.86 , 2237/0.51, 2227/0.17, 2232/0.09, 2231/0.18 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी मुतनाजा 2150/0.32 में से 0.0192, 2131/0.25 में से 0.0024, 2126/0.50 में से 0.0288, 2129/0.34 में से 0.0216, 2125/1.01 में से 0.0360, 2125/5729/0.10 में से 0.0360, 2125/5728/0.16 में से 0.0120, 2241/5730/0.12 में से 0.0216,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2141/0.11 में से 0.0432, 2244/1.86 में से 0.1044, 2237/0.51 में से 0.0360, 2227/0.17 में से 0.0360, 2232/0.09 में से 0.0264, 2231/0.18 में से 0.0240 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार बाल की ढाणी से बड़ की ढाणी तक आमरास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है। अतः रास्ता सार्वजनिक के रूप में उपयोग में आ रहा है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप-6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित खातेदारान की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

3. तहसीलदार विराटनगर ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अभिलेख निरीक्षक, मौका फर्द, नक्शा नजरी ग्राम मैड, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 881, 845, 1006, 641, 846, 1023, 1330, 704, 796 संवत् 2074-2077 आदि पेश किये।

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी रिकार्ड एवं तथ्यों से यह साबित है कि ग्राम मैड पटवार हल्का मैड के खसरा नंबर 2150/0.32 में से 0.0192, 2131/0.25 में से 0.0024, 2126/0.50 में से 0.0288, 2129/0.34 में से 0.0216, 2125/1.01 में से 0.0360, 2125/5729/0.10 में से 0.0360, 2125/5728/0.16 मेंसे 0.0120, 2241/5730/0.12 में से 0.0216, 2141/0.11 में से 0.0432, 2244/1.86 में से 0.1044, 2237/0.51 में से 0.0360, 2227/0.17 में से 0.0360, 2232/0.09 में से 0.0264, 2231/0.18 में से 0.0240 हैक्टेयर भूमि सडक/आम रास्ता के रूप में काम आ रही है। अप्रार्थीगण द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि मौके पर सडक/आम रास्ता बना हुआ नहीं है। चूंकि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है। अतः न्यायालय भूमि की किस्म मौके अनुसार रिकार्ड में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों मे से चालू है, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है, तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

बदलते नहीं है तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60H, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। अतः ग्राम मैड के खसरा नंबर 2150/0.32 में से 0.0192, 2131/0.25 में से 0.0024, 2126/0.50 में से 0.0288, 2129/0.34 में से 0.0216, 2125/1.01 में से 0.0360, 2125/5729/0.10 में से 0.0360, 2125/5728/0.16 मेंसे 0.0120, 2241/5730/0.12 में से 0.0216, 2141/0.11 में से 0.0432, 2244/1.86 में से 0.1044, 2237/0.51 में से 0.0360, 2227/0.17 में से 0.0360, 2232/0.09 में से 0.0264, 2231/0.18 में से 0.0240 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

आदेश

प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मैड पट्वार मण्डल मैड के खसरा नंबर 2150/0.32 में से 0.0192, 2131/0.25 में से 0.0024, 2126/0.50 में से 0.0288, 2129/0.34 में से 0.0216, 2125/1.01 में से 0.0360, 2125/5729/0.10 में से 0.0360, 2125/5728/0.16 में से 0.0120, 2241/5730/0.12 में से 0.0216, 2141/0.11 में से 0.0432, 2244/1.86 में से 0.1044, 2237/0.51 में से 0.0360, 2227/0.17 में से 0.0360, 2232/0.09 में से 0.0264, 2231/0.18 में से 0.0240 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 29.06.2021 को सुनाया गया।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) विराटनगर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1118 दिनांक 2/7/21

प०ह० मैड़ को नोट कराया जाकर चेक करें कि यदि कोई विपरीत आदेश/स्थगन आदेश हो तो नियमानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

16-7-21 निर्णय आदेश यहां तहसीलदार (भू.अ.) तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.) में ख० 2141/0.11 है० के स्थान पर ख०न० 2241/0.86 है० पढ़ा जावें।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)